DATE: 07/08/2020
CLASS: B.A.(H) PART-2ND
SUBJECT: POLITICAL SCIENCE
PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)
CH: 06 (THE UNION EXECUTIVE: PRESIDENT)
LECTURE NO. 31 (THIRTY ONE)

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPT. OF POL. SCIENCE
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

भारतीय राष्ट्रपति का शपथ

संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के ही वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा इस कार्य को सम्पन्न किया जाता है।

यदि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अन्य कोई व्यक्ति करता है तो उसे इसी प्रक्रिया से शपथ लेनी होती है।

राष्ट्रपति शपथ लेता है कि –

(i) श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा;

(ii) संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण करूँगा;

(iii) भारतीय जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहूँगा।

Next

classmate
Date
Page

राष्ट्रपति के पद की रिक्तता :

(i) पाँच वर्ष के कार्यकाल समाप्ति पर ;
(ii) राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने पर ;
(iii) राष्ट्रपति की मृत्यु पर ;
(iv) महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने पर ;
(v) निर्वाचन अवैध घोषित होने पर ।

राष्ट्रपति पर महाभियोग :

महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। यदि राष्ट्रपति के द्वारा 'संविधान का अतिक्रमण' किया जाता है तो संसद महाभियोग की प्रक्रिया अपनाकर उसे पद से हटा सकती है।

महाभियोग सम्बंधी आरोप संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि ऐसा करने के लिए 14-दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है और यह नोटिस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम एक चौथाई (1/4) सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए । ऐसी स्थिति में जिस सदन में हटाने सम्बंधी प्रस्ताव पेश किया जाता है, उसमें सदन की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प/प्रस्ताव पारित कर दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, जिससे इन आरोपों की जाँच हो सके। दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। यदि दूसरे सदन द्वारा राष्ट्रपति पर लगे आरोप सही पाए जाते हैं तो उस सदन की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई (2/3) बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। इस प्रकार महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होती है एवं राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से पद से हट जाना पड़ता है।

महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधि भेजने

Next

Scanned with CamScanner

classmate
Date
Page

का अधिकार होता है। महाभियोग एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है।

महाभियोग की प्रक्रिया में केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य ही भाग ले सकते हैं। राज्य एवं संघ विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते, भले ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि महाभियोग की प्रक्रिया में ये सदस्य भाग ले सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है।

राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन :—

राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर या राष्ट्रपति की बीमारी, अनुपस्थिति या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने की असमर्थता की वजह से उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यों निष्पादन किया जाता है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।

संविधान के अनुच्छेद 70 में उल्लेख किया गया है कि यदि कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाय, जब भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने कार्यों को सम्पन्न करने में असमर्थ हों तो भारतीय संसद को उनके कार्यों के सम्पादन की व्यवस्था करनी होगी। इसी आलोक में 1969 में ही अनुच्छेद 70 के तहत — 'President's Discharge of Functions Bill' पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, दोनों ही पद रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध

Next

Scanned with CamScanner

classmate
Date
Page

वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

सम्भावित प्रश्न:

राष्ट्रपति का पद किन परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है एवं उसे पद से कैसे हटाया जा सकता है?

Scanned with CamScanner